न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/06/2017	16-02-2017	23-09-2022

01– रतीराम पुत्र छोटे जाति जाट निवासी इरनियां तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राज0)

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– धनश्याम पुत्र मोती, जाति जाट निवासी कांकरोली लक्ष्मणगढ हाल कठूमर जिला अलवर (राज0)

02– विजेन्द्र सिंह,

03– साहबसिंह पुत्रान मटोली, जाति जाट निवासी कांकरोली लक्ष्मणगढ हाल कठूमर जिला अलवर (राज0)

04– शीला पुत्री दुलीचन्द पत्नि नामालूम जाति जाट निवासी निठारी तहसील मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

05– नायब तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

–: रेस्पौडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार कठूमर दिनांक 13.09.1976 नामान्तकरण संख्या 17 ग्राम काकरोली, तहसील कठूमर, जिला अलवर।

उपस्थितः–

01– श्री दाता राम गुप्ता –वकील अपीलाण्टस

02– श्री मूल चन्द चौधरी – रेस्पोडेन्टस संख्या 1–4

03– श्री दीपक मीना – रेस्पोडेन्टस संख्या – 5

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 13.09.1976 नामान्तकरण संख्या 17 ग्राम काकरोली, तहसील कठूमर जिला अलवर बेजा तौर से दर्ज कर निर्णित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांटस उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि बोदन पुत्र देवसुख जाति जाट निवासी काकंरोली खातेदार फौत हो चुका है, जिसके कायम वारिसान में पांच पुत्र थे, जिनमे से एक पुत्र कुमरपाल गोद चला गया है, तथा तीन पुत्रो ने आराजी का दाखिला

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

खारिज अपने नाम करा लिया है। हाल आराजी खसरा न0 182, 388, 399, 119, 176, 181, 187, 196, 391, 400, 410, 413, 418, 431, 439, 441, 445, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 604, 631, 628, 645, 691, 706, 734 वाके ग्राम काकरोली तहसील कठूमर जिला अलवर में स्थित है, उक्त आराजी में मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट व हिस्सा बराबर के 1/4, 1/4 हिस्सेदार व काबिज खातेदार काश्तकार है। आराजी अपीलान्ट के बाबा बोदन पुत्र देवसुख की आराजी है, लेकिन बोदन के मरने के बाद विरासत का दाखिला खुला जिसमें अपीलान्ट के पिता छोटे का नाम छोड दिया गया और कुमरपाल गोद चला गया एवं मोती एव दुलीचन्द मटोली के वारिसान के नाम अमल राजस्व रिकार्ड में खोल दिया। जो कि कानूनन रिकार्ड के खिलाफ है। तहत अदालत ने बिना वारिसान की जॉच किये और बिना मौका देखे व मौके पर जॉच किये बिना तीनो व्यक्तियो के नाम दाखिला खोला गया है, जो गलत है, कुवरपाल अपने पिता बोदन के जीवनकाल में ही लाडी उर्फ लडडो को गोद चला गया था, इस लिये बोदन के चार वारिसान के नाम आराजी का नामान्तकरण खोला जाना चाहिऐ था, जबकि तीन व्यक्तियो के नाम आराजी की विरासत का नामान्तकरण खोल कर कानूनी भूल की है। तहत अदालत द्वारा विरासत का नामान्तकरण खोलने से पूर्व वारिसान की सही प्रकार से जॉच की जानी चाहिये थी। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 13.09.1976 की जानकारी नही पूर्व में नही थी, क्योकि कुछ दिनो के लिये अपनी ससुराल में चला गया था। दिनाक 30.01.2017 को पटवारी हल्का से केडिट कार्ड बनवाने के लिये गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपके नाम दाखिला नही खुला है। इस बात की जानकारी प्राप्त हुयी व जानकारी कर नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनाक 08.02.2017 को नकल प्राप्त हुयी जिस पर कानूनी सलाह ली जाकर बिना देरी किये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ अपील पेश कर अपील अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु आर.आर.डी–14.12.2008 पेश की गयी।

वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 17 वाके ग्राम काकरोली, तहसील कठूमर निर्णय दिनाक 13.09.1976 में वर्णित आराजीयात से अपीलान्ट का कोई संबंध वो सरोकार किसी प्रकार का नही है, न ही साबित है, कि अपीलान्ट का पिता छोटे बोदन का पुत्र हो अपील में जो सजरा पेश किया गया है, वह गलत पेश किया है। जिस कारण अपीलान्ट को सुने जाने का कोई औचित्य किसी प्रकार का नही था, अपीलान्ट को उक्त पारित नामान्तकरण की जानकारी शुरू से ही रही है। अपील में वर्णित नामान्तकरण दिनाक 13.09.1976 को स्वीकार किया गया है, क्या अपीलान्ट दिनाक 13.09.1976 से दिनाक 30.1.2017 तक ससुराल रहा है, अपीलान्ट के मन में बदयान्ती आ गयी है, इस लिए उसके द्वारा जानबूझकर लगभग 41 वर्ष के बाद अपील पेश की गयी है, अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में नही है, तो उसके द्वारा केडिट कार्ड बनवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। कानूनन जितने समय पश्चात अपील दायर की जाती है, उस दिन से प्रत्येक दिन का हवाला दिया जाना चाहिए। आपीलान्ट द्वारा आराजी मुतनाजा से गैरवास्ता एवं गैरकाबिज सख्श है, अपीलान्ट द्वारा अपील हाजा में यह दर्ज नही किया गया है, कि छोटे का स्वर्गवास कब हुआ है, छोटे बोदन के स्वर्गवास के पूर्व फौत हुआ है, या बाद में जिससे यह स्पष्ट है, कि अपीलान्ट गलत तथ्य जाहिर कर आराजी मुतनाजा पर कब्जा करना चाहता है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु आर.आर.टी–2019(1), आर.आर.टी–2021(1) 391, आर.आर.टी–2018–2019 581 पेश की गयी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

खारिज अपने नाम करा लिया है। हाल आराजी खसरा न0 182, 388, 399, 119, 176, 181, 187, 196, 391, 400, 410, 413, 418, 431, 439, 441, 445, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 604, 631, 628, 645, 691, 706, 734 वाके ग्राम काकरोली तहसील कठूमर जिला अलवर में स्थित है, उक्त आराजी में मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट व हिस्सा बराबर के 1/4, 1/4 हिस्सेदार व काबिज खातेदार काश्तकार है। आराजी अपीलान्ट के बाबा बोदन पुत्र देवसुख की आराजी है, लेकिन बोदन के मरने के बाद विरासत का दाखिला खुला जिसमें अपीलान्ट के पिता छोटे का नाम छोड दिया गया और कुमरपाल गोद चला गया एवं मोती एव दुलीचन्द मटोली के वारिसान के नाम अमल राजस्व रिकार्ड में खोल दिया। जो कि कानूनन रिकार्ड के खिलाफ है। तहत अदालत ने बिना वारिसान की जॉच किये और बिना मौका देखे व मौके पर जॉच किये बिना तीनो व्यक्तियो के नाम दाखिला खोला गया है, जो गलत है, कुवरपाल अपने पिता बोदन के जीवनकाल में ही लाडी उर्फ लडडो को गोद चला गया था, इस लिये बोदन के चार वारिसान के नाम आराजी का नामान्तकरण खोला जाना चाहिऐ था, जबकि तीन व्यक्तियो के नाम आराजी की विरासत का नामान्तकरण खोल कर कानूनी भूल की है। तहत अदालत द्वारा विरासत का नामान्तकरण खोलने से पूर्व वारिसान की सही प्रकार से जॉच की जानी चाहिये थी। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 13.09.1976 की जानकारी नही पूर्व में नही थी, क्योकि कुछ दिनो के लिये अपनी ससुराल में चला गया था। दिनाक 30.01.2017 को पटवारी हल्का से केडिट कार्ड बनवाने के लिये गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपके नाम दाखिला नही खुला है। इस बात की जानकारी प्राप्त हुयी व जानकारी कर नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनाक 08.02.2017 को नकल प्राप्त हुयी जिस पर कानूनी सलाह ली जाकर बिना देरी किये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ अपील पेश कर अपील अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु आर.आर.डी–14.12.2008 पेश की गयी।

वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 17 वाके ग्राम काकरोली, तहसील कठूमर निर्णय दिनाक 13.09.1976 में वर्णित आराजीयात से अपीलान्ट का कोई संबंध वो सरोकार किसी प्रकार का नही है, न ही साबित है, कि अपीलान्ट का पिता छोटे बोदन का पुत्र हो अपील में जो सजरा पेश किया गया है, वह गलत पेश किया है। जिस कारण अपीलान्ट को सुने जाने का कोई औचित्य किसी प्रकार का नही था, अपीलान्ट को उक्त पारित नामान्तकरण की जानकारी शुरू से ही रही है। अपील में वर्णित नामान्तकरण दिनाक 13.09.1976 को स्वीकार किया गया है, क्या अपीलान्ट दिनाक 13.09.1976 से दिनाक 30.1.2017 तक ससुराल रहा है, अपीलान्ट के मन में बदयान्ती आ गयी है, इस लिए उसके द्वारा जानबूझकर लगभग 41 वर्ष के बाद अपील पेश की गयी है, अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में नही है, तो उसके द्वारा केडिट कार्ड बनवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। कानूनन जितने समय पश्चात अपील दायर की जाती है, उस दिन से प्रत्येक दिन का हवाला दिया जाना चाहिए। आपीलान्ट द्वारा आराजी मुतनाजा से गैरवास्ता एवं गैरकाबिज सख्श है, अपीलान्ट द्वारा अपील हाजा में यह दर्ज नही किया गया है, कि छोटे का स्वर्गवास कब हुआ है, छोटे बोदन के स्वर्गवास के पूर्व फौत हुआ है, या बाद में जिससे यह स्पष्ट है, कि अपीलान्ट गलत तथ्य जाहिर कर आराजी मुतनाजा पर कब्जा करना चाहता है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु आर.आर.टी–2019(1), आर.आर.टी–2021(1) 391, आर.आर.टी–2018–2019 581 पेश की गयी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 17 वाके ग्राम काकरोली, तहसील कठूमर में वर्णित आराजीयात विधिवत जॉच कर विधिवत निर्णय दिनाक 13.09.1976 पारित किया गया है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्टस/रेस्पोडेन्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.1976 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 16.02.2017 को पेश की गयी है, जो 41 वर्ष पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी न्यायालय के समक्ष स्पस्ट नही किया गया है, विलम्ब के मामले में दिन–प्रतिदिन का विवरण पेश किये जाने का प्रावधान है, अपीलान्ट द्वारा इतनी लम्बी अवधि को क्षमा करने हेतु कोई ठोस कारण भी अपने मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित नही किये है, जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यो पर विश्वास कर मियाद को क्षमा किया जा सके। जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अपील का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारित किया जाना उचित नही समझते है। प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड/अपील में वर्णित तथ्यो पर अपील का गुणावगुण के आधार पर विधिवत निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि बोदन पुत्र देवसुख जाति जाट निवासी काकंरोली फौत होने के बाद वारिसान में पांच पुत्र थे, जिनमे से एक पुत्र कुमरपाल गोद चला गया है, तथा तीन पुत्रो ने आराजी का दाखिला अपने नाम करा लिया है। बोदन के मरने के बाद विरासत का नामान्तकरण खुला जिसमें अपीलान्ट के पिता छोटे का नाम छोड दिया गया वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पंचायत ईसरौता के पत्र दिनाक 11.02.2017 की प्रति पेश की है, जिसमें अंकित किया है, कि छोटे पुत्र बोदन जाति जाट निवासी काकरोली का निवासी था, जो कि पॉच भाई थे, जो कमशः मौती, मटोली, दुलीचन्द, कुवरपाल, छोटे बोदन के पुत्र थें, जिनमें से छोटे पुत्र बोदन अपनी ससुराल में रहने लग गया था। जिसका पुत्र रतिराम है, जो इरनीया तहसील लक्ष्मणगढ में निवास कारता है। साथ ही ग्राम इरनिया तहसील लक्ष्मणगढ की जमाबन्दी संम्वत 2016–2019 की प्रति पेश की गयी है, जिसमें छोटे पुत्र बोदन जाट हाल आबाद व देह शिकमी साल 4 अंकन है। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन है, कि नामान्तकरण संख्या 17 वाके ग्राम काकरोली, तहसील कठूमर निर्णय दिनाक 13.09.1976 में वर्णित आराजीयात से अपीलान्ट का कोई संबंध वो सरोकार किसी प्रकार का नही है। अपील में जो सजरा पेश किया गया है, वह गलत है, जिस कारण अपीलान्ट को सुने जाने का कोई औचित्य किसी प्रकार का नही है, अपील में वर्णित नामान्तकरण दिनाक 13.09.1976 को स्वीकार किया गया है, क्या अपीलान्ट दिनाक 13.09.1976 से दिनाक 30.1.2017 तक ससुराल रहा है, अपीलान्ट के मन में बदयान्ती आ गयी है, इस लिए उसके द्वारा जानवूझकर लगभग 41 वर्ष के बाद अपील पेश की गयी है, अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में नही है, तो उसके द्वारा केडिट कार्ड बनवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ ग्राम इरनिया तहसील लक्ष्मणगढ की जमाबन्दी संम्वत 2016–2019 पेश की गयी है, से यह सावित नही है, कि छोटे नाम का व्यक्ति मृतक बोदन का पुत्र है, व मृतक छोटे का पुत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रतिराम है, व ग्राम काकरोली ग्राम का ही निवासी हो। तथा शासन सचित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का परिपत्र एफ.139 (10) निर्देश/विधि/प.रा./2021/263 दिनाक 23.09.2021 की रोशनी में ग्राम पंचायत ईसरौता के पत्र दिनाक 11.02.2017 वास्ते साक्ष्य हेतु ग्रहण किये जाने योग्य नही है। अपील में जो सजरा पेश किया गया है, वह गलत है, जिस कारण अपीलान्ट को सुने जाने का कोई औचित्य किसी प्रकार का नही है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं वकील अपीलान्टस/रेस्पोडेन्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश कर यह साबित नही किया गया है, कि मृतक छोटा मृतक बोदन का ही पुत्र था। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नामान्तकरण संख्या 17 निर्णय दिनांक 13.09.1976 वाके ग्राम काकरोली तहसील कठूमर यथावतः रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23–09–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-09-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)